

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, वजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - ddsecjaipur1@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त पश्चात् अविलम्ब नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें।

क्रम	नाम कार्मिक	पद	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वसन्त कुमार जिन्दल	Sr. Tea.	Maths	O/o B.E.E.Office, Jaipur West, Jaipur	Jaipur	GOVT UPS MURLI MANOHAR JI (08122506904)	Jaipur
2	अंजू चौधरी	Sr. Tea.	Soc. Science	GOVT SEC SCH JANKI WALLABH PURA, BLOCK - CHAKSU (08121306901)	Jaipur	GOVT SEC.SCH PRATAP NGR.SEC.19, (08122704705)	Jaipur
3	किरण मोरोलिया	Sr. Tea.	Science	राउमावि, दुर्जनियावास से राउमावि, हरसोली, सांभरलेक स्थानान्तरणाधीन	Jaipur	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOKHAMPURA, DUDU (08121005001)	Jaipur
4	विमलेश कुमार पारीक	Sr. Tea.	Soc.Sci.	GOVT UPS LAKHOLAYE SITARAMPURA, BLOCK - PHAGI (08121116701)	Jaipur	GOVT UPS KOKAWAS, BLOCK - SANGANER CITY (08122703604)	Jaipur
5	अनवर अली खान	Sr. Tea.	Soc.Sci.	GOVT UPS KOKAWAS, BLOCK - SANGANER CITY (08122703604)	Jaipur	GOVT UPS LAKHOLAYE SITARAMPURA, BLOCK - PHAGI (08121116701)	Jaipur

क्र.सं. 5 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि :-

1. कार्मिक माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं हो।
 2. कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित नहीं हो।
 3. कार्मिक की परिवीक्षा अवधि-2 वर्ष पूर्ण हो गयी हो।
 4. स्थानान्तरित कार्मिक के विधवा/दिव्यांग होने पर उसे कार्यमुक्त नहीं कर इसकी सूचना कार्यालय को दें।
 5. कार्मिक का पद/विषय तथा नव पदस्थापित विद्यालय में स्वीकृत पद/विषय समान हो एवं पद रिक्त हो
 6. राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (आर.वी.आर.ई.एस) के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिक का शहरी क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया गया हो।
 7. निर्वाचन कार्य में नियुक्त कार्मिक को प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग अनुभाग-1 के पत्रांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट, जयपुर दिनांक 31.07.2018 द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार दिनांक 31.07.18 से 29.09.18 की अवधि के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।
 8. कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण अनिवार्यतः शालादर्पण/शालादर्शन के माध्यम से ही कराई जाए।
- उक्त कारणों से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाए जाने वाले कार्मिकों की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

(मुकेश कुमार शर्मा)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक : 27-08-2018

क्रमांक:- शिउनि/जय/मा/संस्था-2/फा-72/2018/130

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक/विधि (प्रथम/द्वितीय)
5. संबंधित संस्था प्रधान/बीईईओ/पीईईओ/संबंधित कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

\\paliwal\E\Establishment\Sanstha 2\Transfer Camp May-18\Order Covering - 2018.doc